भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2145
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं का नामांकन

†2145 डॉ. के. सुधाकर:
डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या चिक्कबल्लापुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कोई रिक्तियां पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों (स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी) में नामांकित महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) सरकार द्वारा देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ.) क्या सरकार के पास कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की नामांकन दर का आंकड़ा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है।

वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीऔरबी 2024-25) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षक की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर के शिक्षक (कक्षा 1-8)			माध्यमिक स्तर के शिक्षक		
	अनुमोदित	कार्यरत	रिक्त	अनुमोदित	कार्यरत	रिक्त
कर्नाटक	188581	148713	39868	44341	34174	10167

स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई छात्र संख्या/नए स्कूलों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता जैसे कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं और एक व्यापक प्रौद्योगिकी आधारित योजना और पूर्वानुमान अभ्यास के कार्य से अपेक्षित विषयवार शिक्षक रिक्तियों का आकलन करने के बाद स्थिरता और शुचिता के लिए उचित देखभाल के साथ प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का दायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर आता है।

(ग): एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, देश भर में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी स्तर पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित महिलाओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी https://www.education.gov.in/parl_ques पर उपलब्ध है।

(घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न खो दे। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करने सहित पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना है। केंद्र सरकार ने महिलाओं सहित पूरे देश में छात्रों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि फीस में कटौती, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति, कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि वाले छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक प्राथमिकता प्रदान करना आदि।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में स्नातक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त सीटें बनाई गईं, जिससे महिला नामांकन 10% से बढ़कर 20% से अधिक हो गया। एसटीईएम शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

यूजीसी 'विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन के विकास' की योजना को क्रियान्वित कर रहा है।

यूजीसी महिलाओं सहित सभी छात्रों को सभी विषयों में पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान कर रहा है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, यूजीसी ने महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला प्रकोष्ठ के लिए दिशानिर्देश और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, **2015** जारी किए हैं।

यूजीसी समय-समय पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, **2013)** को अपनाने और लागू करने तथा इस संबंध में यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करने तथा यूजीसी के विनियमन/दिशानिर्देशों में निर्धारित कदम/कार्रवाई करने के लिए परामर्श भी जारी करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है जैसे एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से लड़कियों के लिए (डिग्री और डिप्लोमा),

एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई स्वानाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई पीजी छात्रवृत्ति योजना, एआईसीटीई डॉक्टरेट फेलोशिप (एडीएफ)। एआईसीटीई ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों की लड़कियों और लड़कों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से जून 2024 में एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (पीडीएफ) योजना भी शुरू की है।

एआईसीटीई ने अपने संस्थानों को अपने-अपने संस्थानों में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ और एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने का अधिदेश दिया है तथा देश भर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संस्थान की वेबसाइट पर इसका विवरण डाला गया है।

(ङ): एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में सभी स्तरों पर 13,551 महिला छात्र नामांकित हैं।

*****

अनुलग्नक

"उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं का नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. के. सुधाकर: डॉ. गुम्मा थानुजा रानी, द्वारा पूछे गए दिनांक 09/12/2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2145 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक:

एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक और समग्र स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार महिला नामांकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएचडी	स्नातकोत्तर	स्नातक
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		751	2331
2	आंध्र प्रदेश	2846	98878	712084
3	अरुणाचल प्रदेश	275	5844	20952
4	असम	2359	58562	281004
5	बिहार	2205	86469	1118964
6	चंडीगढ़	350	12692	35871
7	छत्तीसगढ	1343	99799	371381
8	दिल्ली	9641	107433	491511
9	गोवा	743	5222	22689
10	गुजरात	4963	135095	617558
11	हरियाणा	4155	103720	433001
12	हिमाचल प्रदेश	976	21604	138776
13	जम्मू और कश्मीर	2085	41663	143979
14	झारखंड	879	66974	352306
15	कर्नाटक	5791	165748	992910
16	केरल	6082	117816	535121
17	लद्दाख	8	284	2185
18	लक्षद्वीप			299
19	मध्य प्रदेश	3568	253968	918469
20	महाराष्ट्र	11362	342043	1644917
21	मणिपुर	1211	6577	50230
22	मेघालय	534	9702	43550
23	मिजोरम	579	3063	15075
24	नागालैंड	357	4989	20612
25	ओडिशा	1640	58487	399412
26	पुदुचेरी	325	15070	35163
27	पंजाब	4882	67277	302758
28	राजस्थान	6524	178777	962107
29	सिक्किम	332	3571	12555
30	तमिलनाडु	15362	273418	1289393
31	तेलंगाना	2606	126029	678078
32	दादरा और नगर ***हवेली*** और दमन और दीव	2	641	5273
33	त्रिपुरा	77	5130	41382
34	उत्तर प्रदेश	10820	478525	2864998
35	उत्तराखंड	2919	60691	214265
36	पश्चिम बंगाल	4640	186440	1048737
अखिल भारत		**112441**	**3202950**	**16819897**